

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

{समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

दायरा पंजी व्यवहार वाद क० 45ए/2017

संस्थित दिनांक 10.12.2015

परसराम पुत्र लज्जराम जाति कुशवाह आयु 57 साल
निवासी ग्राम सर्वा, थाना गोहद चौराहा, तहसील गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

.....वादी

विरुद्ध

1. बहादुरसिंह पुत्र रामगोपाल आयु 72 साल
कालीचरन फौत के वारिस-
2. अमरसिंह आयु 42 साल
3. सामन्तसिंह आयु 37 साल
4. चन्द्रभानसिंह आयु 34 साल
5. सुदामालाल आयु 29 साल
पुत्रगण कालीचरन, समस्त जाति कुशवाह, निवासीगण
ग्राम सर्वा तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
6. रामभरोसे आयु 72 साल
7. बालकदास आयु 42 साल, पुत्रगण लज्जराम
जाति कुशवाह, निवासीगण ग्राम सर्वा तह० गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०
8. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर
जिला भिण्ड

.....प्रतिवादीगण

वादी द्वारा अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम।
प्रतिवादी क० 1 लगायत 7 द्वारा अधिवक्ता श्री सुनील कांकर।
प्रतिवादी क्रमांक 8 एकपक्षीय।

:::: निर्णय :::

(आज दिनांक 14.10.17 को उद्घोषित)

यह वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् भूमि सर्वे क० 852 रकबा 0.15, सर्वे क० 866 रकबा 0.42, सर्वे क० 1023 रकबा 0.08, सर्वे क० 1029 रकबा 0.25, सर्वे क० 1059 रकबा 0.31 कुल किता 5 कुल रकबा 1.21 स्थित बांके मौजा सर्वा परगना गोहद जिला भिण्ड (जिसे अत्र पश्चात् "विवादित भूमि" कहा जायेगा), के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं उनके पित्र पुरुष मनोहरसिंह थे जिनके तीन संतानें वादी एवं प्रतिवादी क्र० 6 व 7 के पिता लज्जाराम, प्रति०क्र० 1 के पिता एवं प्रति०क्र० 2 लगायत 5 के बाबा रामगोपाल तथा मुल्लू तीसरी संतान थे। मुल्लू की मृत्यु निःसंतान हुई जबकि वादी एवं प्रति०क्र० 1 के माता पिता की मृत्यु भी हो चुकी है।

3. वाद पत्र के सुसंगत अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है। वादी व प्रतिवादी क्रमांक 6 व 7 भाई हैं जिनका विवादित भूमि में 1/2 तथा प्रति०क्र० 1 एवं 2 लगायत 5 का 1/2 भाग का स्वामित्व व आधिपत्य है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को वारिसाना हित में प्राप्त हुई। वादपत्र में सजरा खानदान प्रस्तुत किया है। वादी, प्रति०क्र० 6, 7 तथा प्रति०क्र० 1 के चाचा मुल्लू की मृत्यु वर्ष 2001 में हो गयी और उनके वारिसान होने के कारण वादी तथा प्रतिवादी क्र० 6, 7 के पक्ष में 1/2 भाग और शेष 1/2 भाग प्रतिवादीगण के पक्ष में नामांतरण पंजी क्र० 3/23.01.2002 के माध्यम से नामांतरण स्वीकार किया गया। उक्त नामांतरण के समय वादी की मां तथा प्रति०क्र० 1 की माँ भी जीवित थीं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस कारण से वादी, प्रति०क्र० 6, 7 का 1/2 तथा रामगोपाल के वारिसान प्रति०क्र० 1 एवं प्रति०क्र० 2 लगायत 5 का 1/2 भाग का स्वामित्व व आधिपत्य है। नामांतरण पंजी के अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की गयी। खसरा संवत् 2058 से 2062 तक उक्त अनुसार प्रविष्टि की गयी किन्तु इसके बाद खसरा संवत् 2063 से 2067 में गलत इन्द्राज किया गया। वादी एवं प्रति०क्र० 6, 7 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादीगण बहादुर व उसके भाई कालीचरन के पक्ष में 3/4 हिस्सा बिना किसी अधिकार के किया गया जिसके संबंध में तहसील न्यायालय में अभिलेख सुधार कार्यवाही संचालित है। गलत इन्द्राज के आधार पर प्रति०क्र० 1 लगायत 5 बलपूर्वक भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जिसकी शिकायत एसडीएम गोहद एवं थाना प्रभारी गोहद चौराहा को की गयी किन्तु प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं और बल पूर्वक अतिक्रमण कर फसल बोने नहीं दे रहे हैं। विवादित भूमि में वादी व प्रति०क्र० 6, 7 का 1/2 भाग एवं शेष प्रति०क्र० 1 लगायत 5 का 1/2 भाग पूर्वजों द्वारा घरू बंटवारे में समान रूप से विभाजित कर दिया गया है किन्तु गलत प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और विक्रय करने की धमकी देते हैं। विक्रय की दशा में अपूर्तनीय क्षति वादी को होगी। दिनांक 20.11.15 को प्रतिवादीगण ने वादी को धौंस दी कि खेती नहीं करने देंगे और किसी अन्य को विक्रय कर देंगे। अतः स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बावत् सहायता चाही है।

4. प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 ने अपने जबाव दावे के संयुक्त अभिवचन में विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति होना तो स्वीकार किया है किन्तु वादपत्र के अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए यह लेख किया कि वादी एवं प्रति०क्र० 6, 7 के पिता लज्जाराम एवं प्रति०क्र० 2 लगायत 5 के बाबा रामगोपाल एवं मुल्ला उर्फ मुल्लू तीन भाई थे जिनकी सम्मिलित कृषि खाता था

तीनों के मध्य विधिवत बंटवारा हुआ जिसमें मुल्ला उर्फ मुल्लू के हिस्से 4.992 हे० भूमि आई थी। वादी चतुर व चालाक है उसने मुल्लू उर्फ मुल्ला की अधिकतम कृषि भूमि को हथिया लिया और प्रतिवादीगण की भूमि को भी हडपने के उद्देश्य से गलत अभिवचन किए हैं। नामांतरण पंजी के माध्यम से 1/2 – 1/2 भाग मृतक लज्जाराम व रामगोपाल के वारिसान को प्राप्त होने का अभिवचन किया है जबकि उक्त पंजी में विवादित भूमि का कोई उल्लेख नहीं हैं मात्र खाता संख्या दर्ज है। राजस्व अभिलेख में कोई गलत इन्द्राज नहीं हुआ है न हीं प्रति०क० 1 लगायत 5 किसी गलत इन्द्राज के आधार पर बल पूर्वक कब्जा करने के प्रयास में हैं बल्कि पूर्व से ही अपने 3/4 हिस्से पर शांतिपूर्ण रूप से निरंतर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी ने जमीन हडपने के लिए झूठी शिकायतें की हैं। वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति नहीं हो रही है। अतिरिक्त अभिवचन भी करते हुए लेख किया कि वादी ने अभिलेख सुधार हेतु कार्यवाही एक वर्ष की अवधि के उपरांत प्रस्तुत की है और वाद अवधि बाह्य प्रस्तुत किया है। वादी ने प्रतिवादीगण से छल कर मुल्लू उर्फ मुल्ला की भूमि के भाग को पूर्व में ही हडप लिया और अकारण परेशान किया जा रहा है। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। वादी ने कब्जा वापसी नहीं चाही है इस कारण से वाद प्रचलन योग्य नहीं हैं। वादी ने गलत मूल्यांकन कर अपर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत की है इस कारण से वाद सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न निम्नानुसार विरचित किये गये, जिनका निष्कर्ष विवेचन उपरांत उनके समक्ष दिया जायेगा-

क्र०	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या भूमि सर्वे क्र० 852 रकबा 0.15, सर्वे क्र० 866 रकबा 0.42, सर्वे क्र० 1023 रकबा 0.08, सर्वे क्र० 1029 रकबा 0.25, सर्वे क्र० 1059 रकबा 0.31 कुल किता 5 कुल रकबा 1.21 स्थित बांके मौजा सर्वा वादी व प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 7 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है ?	“साबित”
2	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी को 1/6 भाग पर स्वत्व प्राप्त है ?	“साबित”
3	क्या वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 1 बहादुरसिंह व कालीचरन का 3/4 भाग पर किया गया नामांतरण वादी के मुकाबले शून्य घोषित किए जाने योग्य है ?	“साबित”
4	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के 1/6 भाग पर वादी का आधिपत्य है ?	“प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से आधिपत्यधारी है”
5	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रति०क० 1 लगायत 5 द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है?	“नासाबित”
6	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 5 अवैध रूप से हस्तांतरित करने के लिए प्रयासरत है ?	“नासाबित”

7	क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?	“अवधि बाह्य प्रस्तुत”
8	क्या वाद धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन पोषणीय है ?	“हाँ”
9	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है ?	“हाँ”
10	सहायता एवं व्यय ?	“कण्डिका 20, 21 व 22 के अनुसार वाद सव्यय निरस्त”

सकारण निष्कर्ष

6. प्रकरण में वादी की ओर से स्वयं परसराम वा०सा० 1, सुरेश वा०सा० 2 रामसहाय वा०सा० 3 तथा प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी अमरसिंह प्रति०सा० 1 तथा आशाराम प्रति०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजों में वादी की ओर से धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्र०पी० 1, डाक रसीद प्र०पी० 2, खतौनी वर्ष 2012-13 प्र०पी० 3, खसरा वर्ष 2012 प्र०पी० 4, नामांतरण पंजी क्र० 3 प्र०पी० 5, खसरा संवत् 2058 से 2062 तथा खसरा संवत् 2063 से 2067 प्र०पी० 6, खसरा दस्तावेज प्र०पी० 7 प्रमाणित प्रति, पुलिस को की गयी रिपोर्ट प्र०पी० 8 के रूप में प्रस्तुत किए जबकि प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजों में नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी परगना गोहद के राजस्व प्रकरण 11/12-013/अ-6 (अ) में पारित आदेश दिनांक 03.07.17 की प्रमाणित प्रति प्र०डी० 1 प्रस्तुत की है।

// वादप्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 //

7. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादपत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति शपथपत्र में की है। वादी ने विवादित भूमि उसके बाबा की संपत्ति दर्शाते हुए चाचा मुल्लू को प्राप्त होना बताई तत्पश्चात् निःसंतान फौन होने पर वादी, प्रति०क्र० 6, 7, उनकी माँ परमो को 1/2 भाग तथा शेष 1/2 भाग चाचा रामगोपाल के वारिसान बहादुर व कालीचरन व उनके पुत्रों प्रति०क्र० 1 लगायत 5 के रूप में नामांतरित होने का अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में विवादित भूमि पैत्रिक संपत्ति होना बताया और बाबा मनोहर के तीन संतानों मुल्ली, लज्जाराम व रामगोपाल को प्राप्त होने का कथन किया। तीनों भाईयों का बंटवारा होना भी स्वीकार किया। मुल्ली की निःसंतान मृत्यु हो जाने और उनकी भूमि समान रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आधी आधी जोतने का कथन किया है। प्रतिवादी अमरसिंह प्रति०सा० 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8 में स्वीकार किया है कि मुल्लू निःसंतान फौत हुए थे किन्तु इस तथ्य के संबंध में अस्वीकार किया है कि मुल्लू की जमीन उनके भाई रामगोपाल व लज्जाराम को बराबर बराबर बांटी गयी थी साक्षी द्वारा स्वतः कहाकि मुल्लू ने तेजसिंह ताउ को गोद लिया था। साक्षी कण्डिका 9 में स्वीकार करता है कि मुल्लू द्वारा तेजसिंह को गोद लेने के संबंध में गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह भी स्वीकार किया है कि

तेजसिंह ने कोई नामांतरण मुल्लू की जमीन का नहीं कराया था। स्वतः कथन करता है कि तेजसिंह मुल्लू के फोट होने के पहले ही खत्म हो गया था। तेजसिंह की पत्नी का नाम गोमता होना बताता है और तेजसिंह और गोमता की कोई संतान न होना तथा गोमता द्वारा मुल्लू की जमीन पर अभिकथित गोदनामे के आधार पर कोई कार्यवाही न करना स्वीकार करता है। यहां एक और तथ्य बताता है कि तेजसिंह की पत्नी ने बहादुरसिंह प्रति०क्र० 1 से पुनर्विवाह कर लिया था इसलिए नामांतरण नहीं हुआ और यह भी स्वीकार करता है कि मुल्लू के मरने के बाद बहादुरसिंह ने नामांतरण की कोई कार्यवाही नहीं की।

8. उपरोक्त अभिकथित तेजसिंह को मुल्लू द्वारा गोद लिए जाने, उसकी पत्नी गोमता का होना एवं तत्पश्चात् तेजसिंह की निःसंतान मृत्यु होना तथा तेजसिंह की पत्नी गोमता द्वारा प्रति०क्र० 1 बहादुरसिंह से पुनर्विवाह कर लिए जाने के संबंध में कोई भी अभिवचन जबाब दावे में नहीं हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना अभिवचन के कोई भी साक्ष्य स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस संबंध में “It is well settled that a case which has not been pleaded in the plaint cannot be made out by evidence. (para-11)” **Caselaw:- "Narbada Devi Gupta v. Birendra Kumar Jaiswal" AIR 2004 S.C.175 = 2003 AIR SCW 5861.** न्यायालय का ध्यान न्याय दृष्टांत काशीनाथ वि० जगन्नाथ 2004-1 एम पी वीकलीनोट की ओर आकर्षित होता है जिसमें सिद्धीक मोहम्मद साह विरुद्ध शरण ए आई आर 1930 प्रिवीकाउन्सील 57 एवं तरोजन एण्ड कंपनी वि० आर० एम०-एन एन नागप्पा चेट्टयार ए आई आर 1953 एस सी 235 को अनुसरण कर यह अभिनिर्धारित किया कि- यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों के अभाव में किसी साक्ष्य को विचार में नहीं लिया जा सकता है।

9. इस प्रकार से प्रतिवादी अमरसिंह प्रति०सा० 2 द्वारा अभिकथित तथ्य अभिवचनों में न होकर साक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है, न ही उनका कोई आधार अभिलेख पर है। यहां तक कि स्वयं प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी आशाराम प्रति०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करता है कि मुल्लू के मरने के बाद आधे भाग पर लज्जाराम व आधे भाग पर रामगोपाल का नामांतरण हुआ था। यह भी स्वीकार करता है कि लज्जाराम के मरने के बाद आधी भूमि रामभरोसे प्रति०क्र० 6, बालकदास प्रति०क्र० 7 तथा वादी परसराम को मिली थी। यह भी स्वीकार करता है कि रामगोपाल की मृत्यु के बाद उसकी आधी भूमि प्रति०क्र० 1 बहादुरसिंह तथा कालीचरण के वारिसान अर्थात् प्रति०क्र० 2 लगायत 5 अमरसिंह, सामंत, चन्द्रभान और सुदामा को मिली थी। यह भी स्वीकार करता है कि मुल्लू की बची हुई शेष विवादित भूमि पर उसकी मृत्यु के बाद आधे भाग पर रामगोपाल के वारिसान अर्थात् वादी एवं प्रति०क्र० 6, 7 तथा आधे भाग पर लज्जाराम के वारिस अर्थात् प्रति०क्र० 1 लगायत 5 खेती करते हैं। अस्तु स्वयं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में अभिकथित रूप से वादी के अभिवचनों व साक्ष्य की पुष्टि की गयी है। उक्त साक्षी को प्रतिवादी पक्ष द्वारा पक्षविरोधी भी नहीं किया गया। अतः साक्षी का साक्ष्य वादी के मामले का समर्थन करता है।

10. प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से यह आधार लिया गया है कि वादी को अन्य भूमियां भी प्राप्त हुई थी जिनके आधार पर प्रतिवादीगण क्र० 1 लगायत 5 को विवादित भूमि में 3/4 भाग प्राप्त हुआ। प्रकरण में खसरा प्रपी० 3 व 4 के दस्तावेज में विवादित भूमि मुलुआ पुत्र मनोहर के नाम दर्ज होने का तथ्य अभिलेख पर है जबकि प्र०पी० 5 का नामांतरण पंजी दस्तावेज मुल्ला पुत्र मनोहर की मृत्यु निःसंतान हो जाने के आधार पर खाता क्र० 454, 456, 457 की भूमि का नामांतरण वादी, प्रतिवादी क्र० 6, 7 तथा प्रति०क्र० 1 लगायत 5 के रूप में समान रूप से 1/2 भाग -1/2 भाग के रूप में किए जाने की पुष्टि करता है उसी के अनुसार प्र०पी० 6 के खसरा दस्तावेज संवत् 2058 से 2062 में नामांतरण पंजी का उल्लेख कर टीप अंकित की गयी है जिसमें समान रूप से 1/2 - 1/2 भाग के संबंध में नामांतरण किया जाना दर्शित है किन्तु कथित रूप से खसरा संवत् 2063 से 2067 में विवादित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी क्र० 6 का नाम 1/4 तथा प्रति०क्र० 1 लगायत 5 के नाम 3/4 भाग पर प्रविष्टि आश्चर्यजनक रूप से प्र०पी० 7 के खसरा दस्तावेज में अंकित किया गया है। प्र०पी० 7 में संशोधन किया गया इसका कोई वैध आधार अभिलेख पर नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत नगर पालिका निगम ग्वालियर वि० पूरन सिंह उर्फ पूरनचन्द्र व अन्य 2014 रा०नि० 361 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि खसरा प्रविष्टियां जो भिन्न स्याही तथा हस्तलेख से की गई हों और ऐसी प्रविष्टियों के लिये किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश का उल्लेख न हो तो ऐसी प्रविष्टियों की शुद्धता पर न्यायालय द्वारा संदेह किया जाना उचित है। साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया कि नामांतरण या खसरा प्रविष्टियां केवल वाद सम्पत्ति के संबंध में भूराजस्व के भुगतान के प्रयोजन के लिये सुसंगत हैं। उनसे किसी सम्पत्ति पर कोई हित या हक हस्तांतरित नहीं होता है। उक्त न्याय दृष्टांत में मा० सवोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत श्रीमती सबरनी वि० श्रीमती इन्दर कौर व अन्य 1996-6 एस सी सी 223 के संबंध में अवलम्ब लिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व प्रविष्टियों के संबंध में न्यायालय का ध्यान न्याय दृष्टांत-गुलाबबाई व अन्य वि० मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 2015 (3) एम पी एल जे 269 की ओर आकर्षित होता है जिसमें हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि पटवारी को खसरा में प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के पारित आदेश के करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत चूडामणि व अन्य वि० रामाधार व अन्य 1991 एम पी एल जे 311 (डी.वी.) के न्यायिक उद्धरण का अनुशरण करते हुये जिसमें कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि खसरा अथवा क्षेत्र पुस्तिका की प्रविष्टि में पटवारी द्वारा अंकित रिमार्क कालम में अथवा अन्य किसी कालम में की गई प्रविष्टि के संबंध में सही होने की कोई उपधारणा करने का आधार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 117 के अधीन नहीं किया जा सकता और माननीय खण्डपीठ द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि पटवारी को खसरा अथवा क्षेत्र पुस्तिका में मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता के अध्याय 9 के अधीन ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है”।

11. जहां विवादित भूमि के संबंध में खसरा संवत् 2058 से 2062 में अभिकथित नामांतरण पंजी प्र०पी० 5 के आधार पर नामांतरण किया जाना दर्शित है वहां स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज वर्ष 2011-12 के खसरा प्र०पी० 4 तथा खतौनी वर्ष 2011-12 में पुनः मुलुआ पुत्र मनोहर का नाम विवादित भूमि पर किस प्रकार से आ गया इसका कोई दस्तावेज या आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी के साक्षी आशाराम प्रति०सा० 2 ने मुलुआ उर्फ मुल्ला की भूमियों पर समान रूप से वादी, प्रति०क्र० 6 व 7 का 1/2 और प्रति०क्र० 1 लगायत 5 का 1/2 भाग होना स्वीकार किया है। विवादित भूमि हिन्दू परिवार की संपत्ति बताई गयी है और अभिलेख पर कोई खण्डन नहीं है कि उक्त कृषि भूमि मुलुआ उर्फ मुल्ला की नहीं थी। ऐसी दशा में वादी का प्रति०क्र० 6 व 7 से मिलकर समान रूप से 1/2 भाग का हक होना दर्शित होता है और उसी के आधार पर वादी का प्रति०क्र० 6 व 7 से संयुक्ततः उक्त 1/2 भाग में 1/6 हिस्सा होना पाया जाता है। जहां तक वादप्रश्न क्र० 3 के अनुसार नामांतरण पंजी दस्तावेज में प्रति०क्र० 1 बहादुर व कालीचरन के 3/4 भाग का प्रश्न है तो वादी की ओर से प्र०पी० 7 के खसरा संवत् 2063 से 2067 में विवादित भूमि के सर्वे क्र० पर प्रति०क्र० 6 रामभरोसे एवं वादी के पक्ष में 1/4 प्रतिवादीगण के पक्ष में 3/4 भाग को कॉलम नं० 3 में बतौर भूमिस्वामी बिना किसी राजस्व अधिकारी के आदेश के दर्ज किया गया है जो कि उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर साक्ष्य एवं तथ्यों की अधिप्रबलता के आधार पर वाद प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का निष्कर्ष "साबित" के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 4, 5 व 6 //

12. वादी ने विवादित भूमि पर उसका एवं प्रति०क्र० 6 व 7 का संयुक्ततः 1/2 भाग पर शांतिपूर्ण स्वत्व व आधिपत्य होने का अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में कौन कौन से सर्वे नंबर जोते हुए है यह बताने में अस्मर्थ है किन्तु ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति से सर्वे नंबरों के संबंध में अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे वह सर्वे नंबर बता सकें। साक्षी 5 नंबर बताता है। कब्जे के संबंध में वादी की ओर से मौखिक साक्षी सुरेश वा०सा० 2 एवं रामसहाय वा०सा० 3 को प्रस्तुत किया है। सुरेश कण्डिका 3 में बताता है कि 6 वीघा जमीन पर वह फसल काटने गया था और वादी ने उससे फसल काटने को कहा था किन्तु वादी परसराम का खेत कितने वीघा का था वह नहीं बता सकता और यह भी नहीं बता सकता कि विवादित जमीन के आसपास किनके सर्वे नंबर लगे हैं। यह स्वीकार करता है कि प्रतिवादीगण जो खेत जोतते थे वे आज भी जोत रहे हैं और वादी जो खेती करता था वह जमीन खाली पड़ी है। रामसहाय वा०सा० 3 विवादित जमीन से स्वयं का खेत लगा होना और कुछ दो खेत दूरी पर अपना खेत होना बताता है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करता है कि गांव वाले बताते हैं कि विवादित जमीन का दो वीघा एक विस्वा खाली पड़ा है और तीन सालों से खाली पड़ा है। यह कथन करता है कि तीन सालों से उक्त खाली पड़ी भूमि के अतिरिक्त शेष जमीन वादी एवं प्रतिवादीगण मिलकर जोत रहे हैं किन्तु वादी शेष जमीन में से कितनी

जमीन जोत रहा है यह नहीं बता सकता। प्रतिवादी साक्षी आशाराम प्रति०सा० 2 जो अपने मुख्य परीक्षण में विवादित जमीन को देखना बताते हैं। वे वादी को कभी खेती करते हुए न देखने का तथ्य लेख कराते हैं, जबकि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि मुल्लू के मरने के बाद आधे भाग पर रामगोपाल के वारिसान अर्थात वादी एवं प्रति०क्र० 6 व 7 तथा आधे भाग पर लज्जाराम के वारिस प्रति०क्र० 1 लगायत 5 खेती करते हैं।

13. जहां तक दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है तो वादी की ओर से वर्ष 2011-12 की खसरा खतौनी प्र०पी० 3 व 4 प्रस्तुत किए हैं जिनमें न तो वादी और न ही प्रतिवादीगण का नाम अंकित है बल्कि पूर्व स्वामी मुलुआ पुत्र मनोहर का नाम अंकित है। ऐसी दशा में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी के अभिवचनों की पुष्टि नहीं होती है। प्रतिवादी साक्षी आशाराम के मौखिक अभिसाक्ष्य से वादी के अभिवचनों की पुष्टि होती है कि विवादित भूमि पर 1/2 भाग पर लज्जाराम के वारिसान के रूप में उसका एवं प्रति०क्र० 6 व 7 की कृषि होती है। वादी साक्षी सुरेश वा०सा० 2 एवं रामसहाय वा०सा० 3 की अभिसाक्ष्य में विवादित भूमि किसके आधिपत्य में है यह तथ्य स्पष्ट नहीं है। दो वीघा एक विस्वा जमीन खाली पड़े होने तथा शेष भूमि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा मिलकर जोते जाने के संबंध में तथ्य अभिलेख पर है। सुरेश वा०सा० 2 की अभिसाक्ष्य में खेत काटने के लिए परसराम द्वारा बताए जाने का कथन किया है और परसराम द्वारा की जाने वाली खेती की जमीन खाली पड़े होने का कथन किया है। चूंकि वादी को अपना मामला स्वयं सिद्ध करना होता है वह प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं ले सकता है। यदि प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत न भी की हो तो स्वत्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में स्वयं वादी को अपना आधिपत्य प्रमाणित करना होता है जो कि वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं है। वादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो अभिकथित रूप से प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि को विक्रय किए जाने के संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करता अथवा ऐसा कोई विक्रय अनुबंधपत्र भी दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में वादी का विवादित भूमि पर आधिपत्य संयुक्त रूप से प्रतिवादीगण के साथ होना दर्शित होता है न कि प्रथक रूप से। वादी के पक्ष में आधिपत्य संयुक्त व आनवयिक आधिपत्य के रूप में प्रमाणित है किन्तु उसमें प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप अथवा अवैध रूप से विक्रय करने का कोई प्रयास किया गया हो, ऐसा तथ्य प्रमाणित नहीं है। अतः वादप्रश्न क्र० 4 का निष्कर्ष **“प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से आधिपत्यधारी है”** वाद प्रश्न क्र० 5 व 6 का निष्कर्ष **“नासाबित”** के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 7 //

14. प्रकरण में प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य होने के संबंध में अभिवचन किया है तथा अभिकथित अवधि बाह्य दावा प्रस्तुत किए जाने के संबंध में आधार बताया है कि वादी ने अभिलेख सुधार हेतु आवेदन नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो प्र०डी० 1 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया। वादी ने अपने अभिसाक्ष्य में परसराम वा०सा० 1 ने

प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में इस तथ्य से इंकार किया कि दिनांक 31.05.12 को तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के समक्ष अभिलेख सुधार हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था और यह भी जानकारी न होना बताते हैं कि उक्त प्रकरण आज भी चल रहा है। इसके विपरीत वादपत्र की कण्डिका 4 में स्पष्ट रूप से लेख है कि "इस प्रकार के गलत इन्द्राज से वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 5 के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसकी कार्यवाही वादी के द्वारा तहसील न्यायालय में इन्द्राज दुरुस्ती बावत संचालित होकर और प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के हिस्से में आई भूमि पर अतिक्रमण कर बल पूर्वक कब्जा करना चाहते हैं"। उपरोक्त तथ्य वादी के द्वारा अभिकथित अभिलेख सुधार की कार्यवाही के संबंध में परस्पर विरोधाभासी है।

15. प्रकरण में परसराम वा०सा० 1 मुख्य परीक्षण में प्रतिवादीगण द्वारा भूमि विक्रय हेतु प्रयास रत होने का तथ्य लेख करते हैं जिसके संबंध में अनुविभगीय अधिकारी एवं थाना गोहद चौराहा में रिपोर्ट लेख कराना बताते हैं। उक्त रिपोर्ट प्रपी० 8 के रूप में प्रस्तुत की गयी, जो कि दिनांक 01.10.05 को किया जाना दर्शित है। परसराम वा०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में ही यह बताते हैं कि "मुझे अक्टूबर 2015 में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि अपने नाम अधिक करा लेने की जानकारी हुई थी। मुझे अक्टूबर 2015 के पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि मुझे अक्टूबर 2015 के पूर्व जानकारी नहीं थी। प्रतिवादीगण ने अपने नाम से अधिक भूमि आज से पांच वर्ष पूर्व करा ली थी। उसके तीन साल बाद मुझे जानकारी मिली थी।" इस प्रकार से वादी इस तथ्य के संबंध में अडिग रहा कि उसे वर्ष 2015 में ही विवादित भूमि के संबंध में गलत प्रविष्टि करा लेने की जानकारी मिली थी किन्तु इसी कण्डिका के अंत में स्वीकार करता है कि प्र०पी० 3 की किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011-12, वर्ष 2012 में मार्च माह में तहसील न्यायालय से प्राप्त की गयी थी और यह भी स्वीकार करता है कि प्र०पी० 4 लगायत 7 की सत्य प्रति भी तहसील न्यायालय से वर्ष 2012 में प्राप्त कर ली थी। प्र०पी० 3, 4, 5 व 6 के समस्त दस्तावेज मार्च 2012 में जारी किए गए हैं जिन्हें वादी मार्च 2012 में प्राप्त होना बताता है ऐसी दशा में उसके अभिसाक्ष से ही स्पष्ट हो जाता है कि उसने वर्ष 2012 में जानकारी हो जाने पर भी एक मिथ्या वाद कारण दिनांक 01.10.15 बताते हुए यह वाद दिनांक 10.12.15 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार से वादी द्वारा तथ्यों को छिपाया जाना एवं वाद कारण दिनांक को मिथ्या रूप से दर्शाना अभिलेख पर प्रमाणित है।

16. परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसूची 1 के अधीन भाग 3 में घोषणा संबंधी दावा के लिए वाद प्रस्तुति किए जाने की परिसीमा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 58 में कोई अन्य घोषणा अभिप्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत करने की अवधि जब वाद लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोद्भूत होता है उक्त समय से तीन वर्ष की अवधि में वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वादी की स्वीकृति के आधार पर उसे मार्च 2012 में प्रपी० 3 लगायत 6 के दस्तावेज प्राप्त हो गए थे ऐसे में उसके वाद लाने का कारण तत्समय उद्भूत हुआ जबकि वर्ष 2015 में वादी को प्रतिवादीगण द्वारा

धमकी दी गयी हो, इस संबंध में वादी की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। साथ ही वादी द्वारा अभिलेख सुधार की कार्यवाही को छिपाने का प्रयास किया गया है जो कि न्यायालय के समक्ष वादी के स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत होना नहीं पाया जाता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 7 का निष्कर्ष "अवधि बाह्य प्रस्तुत" के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 8 //

17. प्रकरण में वादी तथा प्रतिवादी की साक्ष्य से विवादित भूमि के प्रथक प्रथक आधिपत्य के संबंध में तथ्य अभिलेख पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि संयुक्त व आन्वयिक आधिपत्य होना पाया गया है। जहां संयुक्त आधिपत्य पाया जाता है वहां प्रत्येक हितधारी सहस्वामी की हैसियत में होता है। ऐसे में यद्यपि वादी का भौतिक रूप से विवादित भूमि या उसके अंश पर आधिपत्य न हो फिर भी आन्वयिक आधिपत्य धारी के रूप में उसका आधिपत्य माना जाएगा। न्यायालय का ध्यान

न्याय दृष्टांत- Jai Singh and Ors v. Gurmej Singh AIR 2009 SC (Supp) 1570 की ओर आकर्षित होता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि-

7. The principles relating to the inter se rights and liabilities of co-sharers are as follows :

- (1) A co-owner has an interest in the whole property and also in every parcel of it.
- (2) Possession of joint property by one co-owner is in the eye of law, possession of all even if all but one are actually out of possession.
- (3) A mere occupation of a larger portion or even of an entire joint property does not necessarily amount to ouster as the possession of one is deemed to be on behalf of all.
- (4) The above rule admits of an exception when there is ouster of a co-owner by another. But in order to negative the presumption of joint possession on behalf of all, on the ground of ouster, the possession of a co-owner must not only be exclusive but also hostile to the knowledge of the other as, when a co-owner openly asserts his own title and denies, that of the other.
- (5) Passage of time does not extinguish the right of the co-owner who has been out of possession of the joint property except in the event of ouster or abandonment.
- (6) Every co-owner has a right to use the joint property in a husband like manner not inconsistent with similar rights of other co-owners.
- (7) Where a co-owner is in possession of separate parcels under an arrangement consented by the other co-owners, it is not open to anybody to disturb the arrangement without the consent of others except by filing a suit for partition.

न्यायालय का ध्यान **न्याय दृष्टांत- Tanusree Basu and Ors v. Ishani Prasad Basu and Ors AIR 2008 SC 1909 : 2008(4) SCC 791** की ओर आकर्षित होता है जिसमें

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि-

12. There cannot be any doubt or dispute as a general proposition of law that possession of one co-owner would be treated to be possession of all. This, however, in a case of this nature would not mean that where three flats have been allotted jointly to the parties, each one of them cannot be in occupation of one co-owner separately."

18. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 में उपबंधित किया गया है कि -

“किसी विधिक हैसियत या किसी संपत्ति के बारे में कोई अधिकार का हकदार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद संस्थित कर सकेगा जो ऐसी हैसियत या अधिकार पर उसके हक का प्रत्याख्यान कर रहा हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, और न्यायालय स्वविवेकानुसार उसमें घोषणा कर सकेगा कि वह इस प्रकार हकदार है और ऐसे वाद में वादी के लिए आवश्यक नहीं हैं कि कोई अतिरिक्त अनुतोष के लिए मांग करे :

परंतु यह कि कोई न्यायालय ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहां वादी मात्र हक की घोषणा के अतिरिक्त अनुतोष मांगने के लिए समर्थ होते हुए भी ऐसा करने का लोप करेगा।”

प्रस्तुत मामले में जहां वादी का आधिपत्य सहस्वामी के रूप में होना प्रमाणित है वहां उसके द्वारा कब्जा वापसी की सहायता चाहे बिना प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं हैं। अतः वादप्रश्न क्र० 8 का निष्कर्ष “हाँ” के रूप में दिया जाता है।

// वादप्रश्न क्रमांक 9 //

19. वादी द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद विवादित भूमि कृषि भूमि होने के कारण निश्चित भू राजस्व 15 रुपये के 20 गुना राशि 300 रुपये के आधार पर वाद का मूल्यांकन करते हुए नियत न्याय शुल्क सहित वाद प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त स्वत्व घोषणा हेतु वाद मूल्यांकन 400 रुपये कुल 700 रुपये मूल्यांकन हेतु न्यायशुल्क 500 रुपये तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु 50 रुपये कुल 550 रुपये चस्वा कर वाद प्रस्तुत किया है। वाद मूल्यांकन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा न्याय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा 7 पैरा 5 में उल्लेखित भूमि अर्थात् कृषि भूमि के संबंध में कब्जे संबंधी वाद के लिए मूल्यांकन भू राजस्व के 20 गुना के आधार पर किया जाता है और उसी के अनुसार वादी द्वारा किया गया है। वादी ने नियत न्यायशुल्क न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची 2 के संख्यांक 17 में उपबंधित 500 रुपये न्यायशुल्क नियत की है, तदनुसार स्थाई निषेधाज्ञा हेतु निश्चित न्यायशुल्क प्रस्तुत की है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से अभिकथित मूल्यांकन के संबंध में आपत्ति को अवश्य किया है किन्तु कितनी न्यायशुल्क प्रस्तुत की जाना चाहिए इस संबंध में अभिवचन नहीं किया। ऐसे में वादी द्वारा किया गया वाद मूल्यांकन उचित तथा प्रस्तुत न्यायशुल्क पर्याप्त दर्शित होती है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 9 का निष्कर्ष “हाँ” के रूप में दिया जाता है।

// सहायता एवं व्यय //

20. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथ्यों एवं साक्ष्य में प्रस्तुत परिस्थितियों की अधिप्रबलता के आधार पर प्रस्तुत वाद परिसीमा अवधि से बाह्य प्रस्तुत किए जाने से वादी के पक्ष में कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः विवादित भूमि सर्वे क्र० 852 रकबा 0.15, सर्वे क्र० 866 रकबा 0.42, सर्वे क्र० 1023 रकबा 0.08, सर्वे क्र० 1029 रकबा 0.25, सर्वे क्र० 1059 रकबा 0.31

कुल किता 5 कुल रकबा 1.21 स्थित बांके मौजा सर्वा परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

21. उभयपक्षों का वाद व्यय वादी वहन करेगा।

22. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी कम हो, आज्ञप्ति में जोड़ी जावे।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित
कर उद्घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

अमित कुमार गुप्ता
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अमित कुमार गुप्ता
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0